न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 520/2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र भादर सिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र भादरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भादर सिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
2. नाथो देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 02/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 62/59 की कुल 26.4780 हैक्ट भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लालचन्द के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी स0 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी स0 2 जो की वादीगण की बुआ है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी स0 2 जो की उक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीगण बहिब व 3/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:39:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लालचन्द के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी स0 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी स0 2 जो की वादीगण की बुआ है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी स0 2 जो की उक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीगण बहिब व 3/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 62/59 की कुल 26.4780 हैक्ट भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लालचन्द के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी स0 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी स0 2 जो की वादीगण की बुआ है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी स0 2 जो की उक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीगण बहिब व 3/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है, वादी के उक्त कथनो को [illegible] हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष [illegible] संख्या 1 ता 2 को कोई ऐजराज नही है। अतः वाद वादी[illegible]वादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:39:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 62/59 की कुल 26.4780 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादीगण को बहिब तथा 3/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:39:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 520 / 2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र भादर सिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र भादरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भादर सिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
2. नाथो देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 520 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 62/59 की कुल 26.4780 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादीगण को बहिब तथा 3/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:39:10 IST
Reason: SelfAttested